अंचल कार्यालय महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–120/16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950(झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4(H)के अर्न्तगत)

पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति

–: आदेश :–

इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 04/स0भू0 (दिशा निर्देश)–95/2016, 2074/रा0 राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता पाकुड़ के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479/रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्तर्गत गैर मजरूआ आम/खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जॉच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि **मौजा–मानीकपुर थाना संख्या–196 खाता संख्या–79 दाग संख्या–50 रकबा–01 बीधा 04 कट्ठा 16 धूर भूमि विगत सर्वे खतियान में किस्म–पुरातन पतित है एंव उक्त दाग संख्या–50 रकबा–01 बीधा 04 कट्ठा 16 धूर भूमि की मौजा– मानिकपुर के राजस्व पंजी–।। भाग संख्या–2 पेज संख्या–55 में गोपाल सरदार के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के जमाबंदी कायम है।** संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा राजस्व पंजी–।। की सम्यक् जॉचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत दाग की भूमि की राजस्व पंजी–।। के भोल्यूम संख्या–2 पेज संख्या–55 में जमाबंदी कायम होने संदर्भित प्रविष्टि की कोई विवरणी/आधार साक्ष्य अंकित नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि पर गलत/फर्जी दस्तावेजों की आड़ में रैयती दावा करने का कुप्रयास है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एंव अंचल निरीक्षक के द्वारा लोकहित एंव सरकार के हित में कायम जमाबंदी विलोपन एंव सरकार में सन्निहित करने की अनुशंसा की गई है।

इस कार्यालय के ज्ञापांक 529/रा0 दिनांक 18.07.2016 से निर्गत नोटिश, जो अभिलेखबद्व है, के प्रत्युत्तर में विपक्षी द्वारा प्रश्नगत दाग की भूमि पर अपने विधिमान्य दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा राजस्व पंजी–।। के अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत कायम जमाबंदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत् कायम की गई है जिसका सरकार के हित में विलोपन अति आवश्यक है। **राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड रॉची के पत्रांक–1704 दिनांक–15.07.2020 से यह स्पष्ट दिशा निदेश प्राप्त है कि वर्ष 01.01.1946 के पूर्व निबंधित बिकयपत्र/पट्टा/हुक्मनामा के आधार पर खोले गए जमाबंदी की सभी अपेक्षित दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात् आदेश पारित करना है।**

सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत कायम जमाबदी भूमि सुधार के उद्देश्यों को विफल करने एंव सरकारी भूमि को हड़पने के प्रयास के तहत् कायम की गई है। **पंजी–।। रैयत के वारिशानों के द्वारा कायम जमाबंदी के समर्थन में किसी भी स्वत्व दस्तावेज का प्रस्तुत नहीं किए जाने से इस संभावना की पुष्टि भी होती है। अतः मौजा–मानीकपुर थाना संख्या–196 खाता संख्या–79 दाग संख्या–50 रकबा–01 बीधा 04 कट्ठा 16 धूर भूमि किस्म–पुरातन पतित का विपक्षी–सह–पंजी–।। रैयत गोपाल सरदार ग्राम–मानीकपुर के नाम से बिना आधार साक्ष्य प्रविष्टि के राजस्व पंजी–।। के भाग संख्या–2 पेज संख्या–55 में कायम जमाबंदी विलोपन की अनुशंसा की जाती है।** अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, पाकुड़ को भेजें।

लेखापित एंव संशोधित

11/04/23
अंचल अधिकारी
महेशपुर

11/04/23
अंचल अधिकारी
महेशपुर

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINHA
Date: 2024.07.08 11:48:12 +05:30
Location: 192.168.0.100

Scanned with CamScanner